विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग—2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शुक्रवार, 28 अप्रैल, 2023 / 08 वैशाख, 1945 (शक)

संख्या-113

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 17.04.2023 को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है:—

"मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य पाया है कि दिल्ली विधान सभा की माननीय सदस्य श्रीमती आतिशी को नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए।

तद्नुसार, 16.04.2023 को, अपराह्न 02.54 बजे, उन्हें आर्क बिशप रोड, पुलिस थाना तुगलक रोड, नई दिल्ली से हिरासत में लिया गया और पुलिस थाना नजफगढ़, नई दिल्ली ले जाया गया। उसी दिन अपराह्न 05.15 बजे उन्हें पुलिस थाना नजफगढ़, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया'

राज कुमार सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Friday, 28 April, 2023/08 Vaishakh, 1945 (Shaka)

No. 113

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 17.04.2023 from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi:

"I have the honour to Inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that Ms. Atishi, Hon'ble Member of Legislative Assembly of Delhi be detained for maintaining law and order and public peace in the area of New Delhi District.

Accordingly, on 16.04.2023, at 02.54 PM, she was detained from Arch Bishop Road, Police Station Tughlak Road, New Delhi and was taken to Police Station Najafgarh, New Delhi. At 05.15 PM, on the same day, she was released from Police Station Najafgarh, New Delhi."

Raj Kumar Secretary